

मंडल की 26.12.2018 को हुई बैठक में लिए गये निर्णय

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
1.	217	मंडल की 20 नवंबर, 2018 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि.	मंडल की दिनांक 20.11.2018 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती है।	सामान्य प्रशासन
2.	218	विशेष योजना प्राधिकार - मुंपेट्र के योजना प्रस्ताव.	<p>निम्न को अनुमोदन प्रदान किया जाता है -</p> <p>(i) टिप्पणी के परिच्छेद 16 के मुख्य अभियंता के प्रस्ताव को।</p> <p>(ii) योजना समिति पर श्री. केरसी पारेख तथा श्री. सुरेश पाटील को न्यासी नामित करने को।</p> <p>(iii) दो बाहरी विशेषज्ञ नामशः श्री राजन कोप तथा श्री संपत्कुमार को नामित करने को। यदि दोनों बाहरी विशेषज्ञ योजना समिति से जुड़ने में उनकी अनिच्छा प्रकट करते हैं, तो अध्यक्ष को अधिकार दिया जाता है कि वे योजना समिति के सदस्य के रूप में बाहरी विशेषज्ञ के बारे में निर्णय ले।</p> <p>(iv) योजना प्रस्ताव के प्रकाशन के संबंध में जनता से सुझाव और आपत्तियाँ मंगाने के लिए एमआर एवं टीपी अधिनियम, 1966 के अधीन नोटिस प्रकाशित करने के लिए अध्यक्ष को अधिकृत करने को।</p> <p>(v) योजना प्रस्ताव के प्रकाशन के पूर्व किसी छोटे संशोधनों तथा सुधारों को, यदि कोई हो, करने के लिए अध्यक्ष को अधिकृत करने को।</p>	स्थापत्य अभियंता
3.	219	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट से संबंधित भूमि पर सिवरी स्थित बम्बई विकास विभाग चालों का प्रस्तावित पुनर्विकास.	<p>निम्न को अनुमोदन प्रदान किया जाता है -</p> <p>(i) टिप्पणी के परिच्छेद 12 का मुख्य अभियंता के प्रस्ताव को।</p> <p>(ii) प्रस्ताव की व्यवहार्यता के साथ पोत परिवहन मंत्रालय को अनुमोदन के लिए तथा आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को आगे स्थानान्तरण के लिए प्रेषित करने को।</p>	स्थापत्य अभियंता

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
4.	220	पीटीसी इण्डिया लि. को मुंपोट्र आवासीय कालोनियों में आवासीय मकानों का आबंटन. - पीटीसी इण्डिया लि. का अनुरोध.	उपरोक्त परिच्छेद 9 के विस एवं मुलेअ की टिप्पणियों के साथ टिप्पणी के परिच्छेद 7 का मुख्य यांत्रिकी अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यांत्रिकी अभियंता
5.	221	उच्च न्यायालय ए एवं व्हिएजे चेम्बर समन्स सं. 586/2013 में नवाधिकार मुकदमा सं. 24/2014 कॅप्टन डी.एस. दलाल, मास्टर, एम. व्हि. कमल XXXIII विरुद्ध एम. व्हि. कमल XXXIII एवं अन्य.	निम्न को कार्योन्तर अनुमोदन प्रदान - (i) टिप्पणी के परिच्छेद 7 के उपसंरक्षक के प्रस्ताव को. (ii) सहमति उच्च न्यायालय के समक्ष दायर करने के लिए कॅप्टन बी.व्ही. पवार, उपसंरक्षक (प्रभारी) तथा कॅप्टन अभिजीत दूबे, सहा. हार्बर मास्टर के पक्ष में जारी प्राधिकार पत्र को.	समुद्री
6.	222	सेनेगल में पोतभरण होने वाले निर्यात वाहनों के लिए निःशुल्क दिनों में विस्तार के लिए टाटा मोटर्स लि. से अनुरोध.	टिप्पणी के परिच्छेद 5 के यातायात प्रबंधक के प्रस्ताव को कार्योन्तर मंजूरी प्रदान की जाती है.	यातायात
7.	223	जवाहर द्वीप मे पाँचवें तेल घाट का निर्माण - इंजीनियर्स इण्डिया लि. को मासिक चालू बिलों का भुगतान	टिप्पणी के परिच्छेद 14 का मुख्य यांत्रिकी अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यांत्रिकी अभियंता
8.	224	1.4.2019 से आवासीय कालोनियों के चिकित्सकीय, गैर चिकित्सकीय, स्वच्छता कर्मचारियों तथा चिकित्सा विभाग के मलेरिया प्रतिरोधक प्रबंधन कर्मचारियों की पुनःतैनाती.	टिप्पणी के परिच्छेद 7 का मुख्य चिकित्सा अधिकारी का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	चिकित्सा
9.	225	हाजीबंदर स्थित सेन्ट्रल पार्क तथा सुधार गार्डन के विकास के लिए भूमापन अभिकल्पकार की नियुक्ति. - परामर्शदाता की नियुक्ती को अनुमोदन.	टिप्पणी के परिच्छेद 7 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य अभियंता
10.	226	सरकारी निजी भागीदारी के आधारपर पर्यटन स्थान के रूप में कान्होजी आंग्रे द्वीप का प्रबंधन, प्रचालन और रखरखाव.	टिप्पणी के परिच्छेद 6 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य अभियंता
11.	227	मुंबई पोर्ट में मरीना का विकास.	चर्चा की टिप्पणी में अभिलिखित निर्णय को अनुमोदन प्रदान किया जाता है.	स्थापत्य अभियंता
